तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 439/2025 भगवान जेठाराम वगैरा बनाम कुनणी वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
27/01/2026	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में तक प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा काउ का खेडा पटवार क्षेत्र कवारा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 902/111 रकबा 1.8453 हैक्टेयर, खसरा संख्या 911/448 रकबा 0.0913 हैक्टेयर, भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया मौजा काउ का खेडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 902/111 रकबा 1.8453 हैक्टेयर, खसरा संख्या 911/448 रकबा 0.0913 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खेत ... पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत ... निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जाये। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashartha Shekhar
Date: 2026.02.02 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested